न्याय विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माननीय न्यायमूर्तिगण एवं अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत गलेनथार्न कम्पाउण्ड में निर्माणाधीन टाइप–3 आवासों के स्थान पर कार्यालय भवन एवं Domestic Helper Block के स्थान पर Recreation Room का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री राजेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।.
3. श्री मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्डं शासन।
4. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री विनोद कुमार, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री अनुराग शुक्ला, डी0जी0एम0, एन0बी0सी0सी0।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– न्याय विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कार्यालय स्थान की कमी होने के कारण माननीय न्यायमूर्तिगण एवं अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत गलेनथार्न कम्पाउण्ड में निर्माणाधीन टाइप–3 आवासों के स्थान पर कार्यालय भवन के निर्माण प्रस्तावित किये जाने के साथ–साथ Domestic Helper Block के स्थान पर Recreation Room के निर्मित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति की संस्तुति की गयी है। उक्त भवनों के निर्माण से माननीय उच्च न्यायालय के कार्मिकों, एडवोकेट्स एवं वादीगणों को पर्याप्त स्थान प्राप्त हो जाने के कारण कार्यालय एवं न्यायिक कार्यो को सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– प्रकरण Change of Scope of work का है अतः भूमि पूर्व से ही उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– वर्तमान में माननीय न्यायमूर्तिगण आवास हेतु स्वीकृत 04 में से 04, टाईप–प्रथम के 92 में से 86 आवास एवं 06 आवास के स्थान रिक्रेशन हॉल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष कार्य प्रगतिरत है। Domestic Helper Block के स्थान पर Recreation Room का निर्माण किया जा चुका है। टाईप–तृतीय के 12 आवासों के स्थान पर कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है। आवासों हेतु स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः प्रत्येक आवास में Bed Room and Drawing Room के बीच की दीवार को हटाकर कार्यालय, शयन कक्ष के स्थान पर Executive office, किचन के स्थान पर रिकार्ड रूम तथा एक टायलेट के स्थान पर स्टोर रूम के प्राविधान का प्रस्ताव है।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमत** :–

4.1 राज्य सेक्टर की योजनान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में माननीय न्यायमूर्तीगण एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु वर्ष 2016 में रू0 4038.87 लाख (एस0आई0 मदों हेतु रू0 3350.39 लाख + अधिप्राप्ति हेतु रू0 688.48 लाख) की स्वीकृति प्राप्त हुई।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.2 वर्तमान में माननीय न्यायमूर्तिगण आवास हेतु स्वीकृत 04 में से 04, टाईप–प्रथम के 92 में से 86 आवास एवं 06 आवास के स्थान रिक्रेशन हॉल का कार्य पूर्ण तथा टाईप–द्वितीय एवं टाईप–तृतीय के 12–12 के कार्य प्रगति पर है।

4.3 आवासीय भवन के टाईप–तृतीय के 12 संख्या के आवास निर्माण का स्ट्रक्चर पूर्ण किया जा चुका है।

4.4 माननीय न्यायालय द्वारा कार्यालय में पर्याप्त स्थान न होने के कारण इन 12 संख्या आवासों को कार्यालय ब्लॉक हेतु प्रस्तावित किया गया है।

4.5 कार्यालय ब्लॉक के निर्माण में कुर्सी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मात्र Partition Wall हटाकर कार्यालय कक्ष का प्राविधान किया गया है।

4.6 12 संख्या के आवास की स्वीकृत लागत रू0 333.23 लाख थी। कार्यालय ब्लॉक के निर्माण हेतु आवास के स्थान पर आगणन की लागत रू0 308.16 लाख है। टी0ए0सी0 परीक्षण के पश्चात् लागत रू0 308.16 लाख (रू0 266.91 लाख + रू0 41.25 लाख अधिप्राप्ति) ही है।

4.7 टाईप–प्रथम के 92 आवास में से 86 आवास निर्मित किये जा चुके है 06 आवासों (Domestic Helper Block) के स्थान पर 01 रिक्रेशन हॉल का निर्माण किया गया है।

4.8 उक्त ब्लॉक की स्वीकृत लागत रू0 101.00 लाख थी परन्तु रिक्रेशन हॉल की लागत रू0 45.61 लाख उत्तराखण्ड शासन (वित्त विभाग) के आदेश संख्या–02(1)–02/ दिनांक 30.05.2019 स्वीकृत की गयी है।

4.9 Domestic Helper Block के स्थान पर निर्मित रिक्रेशन हॉल की कार्योत्तर स्वीकृति एवं टाईप–तृतीय आवास 12 संख्या के स्थान पर कार्यालय ब्लॉक के मूल आगणन के प्राविधान के परिवर्तन का प्रस्ताव विभागीय व्यय समिति की दिनांक 21.09.2021 की बैठक में व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुत किया गया है।

4.10 समिति के कार्यवृत्त में संलग्न लागत के सारांश (अहस्ताक्षरित) में सम्पूर्ण योजना की संशोधित लागत को रू0 40.38 करोड के स्थान पर रू0 38.7855 करोड होना अवगत कराया गया है। यद्यपि इस लागत में संशोधित लागत कम होने के कारण Index, Contingency and Labour Cess में भी कमी होने के फलस्वरूप और कमी आयेगी। अतः योजना पूर्ण होने पर वास्तविक बचत से शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक है।

5. **<u>व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय</u> :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यदायी संस्था एन0बी0सी0सी0 के डी0जी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष Domestic Helper के 06 आवासों का निर्माण अन्यत्र स्थान पर प्रगतिरत है जो स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें।

श्री राजेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में टाईप–तृतीय 12 संख्या के निर्माण की आवश्यकता नहीं है भविष्य में आवश्यकता होने पर पृथक से योजना गठित की जायेगी।

उपरोक्त के आलोक में दिनांक 21.09.2021 को विभागीय व्यय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार Recreation Hall के निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति एवं टाईप–तृतीय के 12 आवासों के निर्माण को निरस्त करते हुए आवासीय भवन टाईप–तृतीय के 12 आवासों के स्थान पर कार्यालय भवन के निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव **निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.3 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.4 आगणन में डी0एस0आर0 2018/एस0ओ0आर0 2021 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.5 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.6 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5.7 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.7 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1380/772/न्याय विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021
नवम्बर

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव